

|             |   |          |
|-------------|---|----------|
| आय-कर विभाग | “प्रारूप सं. 15गक<br>(नियम 37खख देखिए)<br>किसी अनिवासी जो कंपनी नहीं है या विदेशी कंपनी को संदाय जो कि कर से प्रभार्य है, के लिए दी जाने वाली जानकारी | अभि. सं. |
|-------------|---|----------|

भाग क

(यदि प्रेषण पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है और वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए ऐसे प्रेषणों का संकलन दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है तो इसे भरा जाए)

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| प्रेषक             | प्रेषक का नाम  |  |
|                    | प्रेषक का पेन (यदि है)   |  |
|                    | प्रेषक का टेन (यदि है)   |  |
|                    | प्रेषक का पूरा पता, ई-मेल और दूरभाष संख्या                       |  |
|                    | प्रेषक की प्रास्थिति   |  |
| प्रेषिती           | प्रेषण के प्राप्तकर्ता का नाम                                    |  |
|                    | प्रेषण के प्राप्तकर्ता का पेन                                    |  |
|                    | प्रेषण के प्राप्तकर्ता का पूरा पता, ई-मेल और दूरभाष संख्या       |  |
|                    | देश का नाम जिसमें प्रेषण होना है।                                |  |
| प्रेषण             | टीडीएस हो पहले संदत्त राशि, यदि कोई है (भारतीय मुद्रा में)       |  |
|                    | इस प्रस्तावित प्रेषण सहित वित्तीय वर्ष में प्रेषण की संकलित राशि |  |
|                    | बैंक का नाम  |  |
|                    | बैंक की शाखा का नाम  |  |
|                    | प्रेषण की प्रस्तावित तारीख                                       |  |
|                    | प्रेषण की प्रकृति  |  |
|                    | कर कटौतियां-   |  |
|                    | (क) कर कटौती की रकम  |  |
| (ख) कटौती की तारीख |  |  |

सत्यापन

मैं/हम\* ..... (पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में), जो ..... का पुत्र/पुत्री ..... (पदनाम) के रूप में यह घोषित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे सर्वोच्च ज्ञान और विश्वास से सत्य है और कोई सुसंगत जानकारी छिपाई नहीं गई है। मैं/हम\* आयकर अधिनियम के अधीन मेरे/हमारे दायित्व का अवधारण करने के लिए

अपेक्षित दस्तावेजों सहित उपरोक्त प्रेषण के प्राप्तकर्ता की आय की प्रकृति और रकम का अवधारण करने के लिए आयकर प्राधिकारियों को स्रोत पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ/देते हैं

स्थान : हस्ताक्षर :

तारीख : पदनाम :

\*जो लागू न हो उसे काट दें।

1. यदि कंपनी है तो 1 लिखें, यदि फर्म है तो 2 लिखें, यदि व्यक्ति है तो 3 लिखें और यदि अन्य है तो 4 लिखें
2. यदि प्रेषण पर कर प्रभार है तो पेन का न होना, धारा 206 कक के उपबंधों को आकर्षित करेगा।
3. यदि उपलब्ध है।
4. यदि उपलब्ध है।

भाग ख

(यदि प्रेषण आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन प्रभार्य है, या प्रेषण नियम 37 खख में विनिर्दिष्ट सूची के अंतर्गत नहीं है तो भरा जाए।)

| खंड क               |  | साधारण जानकारी   |  |  |  |  |  |  |                |  |          |  |        |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------|--|--------|--|
|                     |  | प्रेषक का नाम  |  |  |  |  |  |  |                |  |          |  |        |  |
|                     |  | प्रेषक का पेन  |  |  |  |  | एरिया कोड  |  | एओ टाइप        |  | रेंज कोड |  | एओ सं. |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |          |  |        |  |
| <b>प्रेषक</b>       |  | कारबार का मूल स्थान  |  |  |  |  | प्रेषक का टेन  |  |                |  |          |  |        |  |
|                     |  | प्रेषक का पूरा पता, ई-मेल और दूरभाष संख्या   |  |  |  |  |  |  |                |  |          |  |        |  |
|                     |  | प्रास्थिति   |  |  |  |  | कंपनी होने की दशा में- यदि घरेलू है तो "1" लिखें और यदि घरेलू के अतिरिक्त अन्य कोई है तो "2" लिखें |  |                |  |          |  |        |  |
| <b>प्रेषिती</b>     |  | प्रेषण के प्राप्तकर्ता का नाम  |  |  |  |  | प्रेषण के प्राप्तकर्ता का पेन  |  |                |  |          |  |        |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |          |  |        |  |
|                     |  | प्रास्थिति   |  |  |  |  |  |  |                |  |          |  |        |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |          |  |        |  |
|                     |  | पता  |  |  |  |  | जिस देश में प्रेषण किया गया है   |  |                |  |          |  |        |  |
|                     |  | कारबार का मूल स्थान  |  |  |  |  | ई-मेल पता  |  |                |  |          |  |        |  |
|                     |  |  |  |  |  |  | (आईएसडी कोड)-दूरभाष संख्या   |  |                |  |          |  |        |  |
|                     |  |  |  |  |  |  | (.....)  |  |                |  |          |  |        |  |
| <b>लेखाकार</b>      |  | (क) प्रमाण पत्र को हस्ताक्षरित करने वाले लेखाकार का नाम  |  |  |  |  |  |  |                |  |          |  |        |  |
|                     |  | (ख) लेखाकार के स्वत्वधारी/फर्म का नाम  |  |  |  |  |  |  |                |  |          |  |        |  |
|                     |  | (ग) पता  |  |  |  |  |  |  |                |  |          |  |        |  |
|                     |  | (घ) लेखाकार की रजिस्ट्रीकरण संख्या   |  |  |  |  |  |  |                |  |          |  |        |  |
|                     |  | (ङ) प्रमाण पत्र की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)  |  |  |  |  | प्रमाण पत्र संख्या   |  |                |  |          |  |        |  |
| <b>ए.ओ.आदेश</b>     |  | (क) क्या निर्धारण अधिकारी से आयकर अधिनियम की धारा 195(2)/195(3)/197 के अधीन कोई आदेश का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। |  |  |  |  | (चिन्ह) हां...../.....नहीं   |  |                |  |          |  |        |  |
|                     |  | (ख) जिस धारा के अधीन आदेश/प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है  |  |  |  |  |  |  |                |  |          |  |        |  |
|                     |  | (ग) आदेश/प्रमाण पत्र जारी करने वाले निर्धारण अधिकारी का नाम और पदनाम   |  |  |  |  |  |  |                |  |          |  |        |  |
|                     |  | (घ) आदेश/प्रमाण पत्र की तारीख  |  |  |  |  |  |  |                |  |          |  |        |  |
|                     |  | (ङ) आदेश/प्रमाण पत्र संख्या  |  |  |  |  |  |  |                |  |          |  |        |  |
| <b>खंड ख</b>        |  | प्रेषण और स्रोत पर कर की कटौती की विशिष्टियां (लेखाकार के प्रमाण पत्र के अनुसार)                                     |  |  |  |  |  |  |                |  |          |  |        |  |
| <b>प्रेषण</b>       |  | 1. जिस देश में प्रेषण किया गया है  |  |  |  |  | देश:   |  | मुद्रा:        |  |          |  |        |  |
|                     |  | 2. सदेय रकम  |  |  |  |  | विदेशी मुद्रा में:   |  | भारतीय रु. में |  |          |  |        |  |
|                     |  | 3. बैंक का नाम   |  |  |  |  | बैंक की शाखा   |  |                |  |          |  |        |  |
|                     |  | 4. बैंक शाखा का वीएसआर कोड (7 अंकों में)   |  |  |  |  |  |  |                |  |          |  |        |  |
|                     |  | 5. प्रेषण की प्रस्तावित तारीख  |  |  |  |  | दिन/मास/वर्ष   |  |                |  |          |  |        |  |
|                     |  | 6. प्रेषण की प्रकृति करार/दस्तावेज के अनुसार   |  |  |  |  |  |  |                |  |          |  |        |  |
|                     |  | 7. यदि प्रेषण शुद्ध कर है तो क्या संदेह कर का योग किया गया है?   |  |  |  |  | (चिन्ह) हां...../.....नहीं   |  |                |  |          |  |        |  |
| <b>आयकर अधिनियम</b> |  | 8. आयकर अधिनियम के उपबंधों के अधीन कराधेयता (डीटीएए पर विचार किए बिना)   |  |  |  |  | हां...../.....नहीं   |  |                |  |          |  |        |  |
|                     |  | (क) अधिनियम की सुसंगत धारा जिसके अधीन प्रेषण आता है  |  |  |  |  |  |  |                |  |          |  |        |  |
|                     |  | (ख) आय की रकम जिस पर कर प्रभाय है  |  |  |  |  |  |  |                |  |          |  |        |  |
|                     |  | (ग) कर दायित्व   |  |  |  |  |  |  |                |  |          |  |        |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | (घ) कराधेय आय और कर दायित्व अवधारित करने का आधार   |  |  |
| प्रत्यक्ष कर परिवर्जन संबंधी करार (डीटीएए)   | 9. यदि आय भारत में कर प्रभाय है और डीटीएए के अधीन कोई राहत का दावा किया गया है                                       |  |  |
|  | (i) क्या प्रेषण के प्राप्तकर्ता से कर आवास प्रमाण पत्र लिया गया है   | (चिन्ह) हां...../.....नहीं                               |  |
|  | (ii) कृपया डीटीएए विनिर्दिष्ट करें   |  |  |
|  | (iii) कृपया डीटीएए का सुसंगत अनुच्छेद विनिर्दिष्ट करें।  | डीटीएए के अनुसार संदाय की प्रकृति                        |  |
|  | (iv) कृपया डीटीएए के अनुसार कराधेय आय  | भारतीय रुपए में  |  |
|  | (v) डीटीएए के अनुसार कर दायित्व  | भारतीय रुपए में  |  |
|  | अ. यदि प्रेषण स्वामित्व, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, ब्याज, लाभांश आदि (स्थायी स्थापन से संबंधित न हो) उपदर्शित करें:- | (चिन्ह) हां...../.....नहीं                               |  |
|  | (क) डीटीएए का अनुच्छेद   |  |  |
|  | (ख) अनुच्छेद के निबंधनों में जो डीटीएए को लागू होता है की जाने वाली अपेक्षित स्रोत पर कर की कटौती की दर              | डीटीएए के अनुसार (%)                                     |  |
|  | आ. यदि प्रेषण कारबार की आय की बाबत है तो कृपया उपदर्शित करें:-   | (चिन्ह) हां...../.....नहीं                               |  |
|  | (क) क्या ऐसी आय भारत में कर प्रभाय नहीं है   |  |  |
|  | (ख) यदि हां तो कर की कटौती पर निश्चित करने का आधार   |  |  |
|  | इ. यदि प्रेषण पूंजी अभिलाभ के कारण है तो कृपया उपदर्शित करें:-   | (चिन्ह) हां...../.....नहीं                               |  |
|  | (क) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की रकम   |  |  |
|  | (ख) अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की रकम  |  |  |
|  | (ग) कराधेय आय निर्धारित करने का आधार   |  |  |
|  | ई. उन प्रेषण के मामले में जो उपमद अ, आ और इ के अंतर्गत न आते हों   | (चिन्ह) हां...../.....नहीं                               |  |
|  | (क) प्रेषण की प्रकृति को कृपया विनिर्दिष्ट करें  |  |  |
|  | (ख) डीटीएए के अनुसार भारत में कर प्रभाय है   |  |  |
|  | (ग) यदि हां, तो लागू डीटीएए के ऐसे अनुच्छेद के निबंधनों के अनुसार कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित डीटीएस की दर        |  |  |
| (घ) यदि नहीं, तो कृपया डीटीएए के सुसंगत अनुच्छेद को विनिर्दिष्ट करते हुए उसके संक्षिप्त कारण बताएं |  |  |  |
| प्रत्यक्ष कर कटौती   | 10. स्रोत पर कर कटौती की रकम   | विदेशी मुद्रा में  |  |
|  |  | भारतीय रुपए में  |  |
|  | 11. प्रत्यक्ष कर कटौती की दर   | आयकर अधिनियम के अनुसार (%)<br>या<br>डीटीएए के अनुसार (%) |  |
|  | 12. प्रत्यक्ष कर कटौती के बाद प्रेषण की वास्तविक रकम   | विदेशी मुद्रा में  |  |

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| 13. | स्रोत पर कर कटौती की तारीख, यदि कोई हो (दिन/मास/वर्ष) |  |  |
|-----|---|--|--|

सत्यापन

1. मैं/हम\* ..... (पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में), जो ..... का पुत्र/पुत्री हूँ/है. ....सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही है और कोई सुसंगत जानकारी नहीं छिपाई गई है।
2. मैं/हम\* यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि लेखाकार से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है जिसकी विशिष्टियां इस प्ररूप में, रकम स्रोत पर कर की कटौती की प्रकृति और सत्यता को प्रमाणित करते हुए दी गई है। मैं/हम\* आयकर अधिनियम की धारा 195(2)/105(3)/197 के अधीन दिया गया प्रमाण पत्र/आदेश जिसकी विशिष्टियां इस प्ररूप में दी गई है, को प्रमाणित करते हैं।
3. यदि जहां यह पाया जाता है कि प्रेषण की रकम पर वास्तव में कटौती योग्य कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती करने के पश्चात् पूर्ण रूप सेसंदत नहीं की गई है तो मैं/हम\* यथास्थिति, कटौती किये गए या संदत् न किए गए कर की रकम का, उस पर शोध ब्याज सहित संदाय करने का वचन देता हूँ/देते हूँ। मैं/हम\* आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार उक्त व्यतिक्रम के लिए भी शास्ति के उपबंधों के अधीन रहूंगा/रहेंगे।
4. मैं/हम\* आयकर अधिनियम के अधीन मेरे/हमारे दायित्व का अवधारण करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों सहित उपरोक्त प्रेषण के प्राप्तकर्ता की आय की प्रकृति और रकम का अवधारण करने के लिए आयकर प्राधिकारियों को स्रोत पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ/देते हैं।
5. मैं/हम\* आगे यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम\* ..... की हैसियत में यह जानकारी दे रहा हूँ/रहे हैं और मैं\*/हम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 140 के उपबंधों के अनुसार आय की विवरणी को हस्ताक्षरित करने तथा उसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ/हैं।

|              |                  |
|--------------|------------------|
| स्थान: ..... | हस्ताक्षर: ..... |
| तारीख: ..... | पदनाम: .....     |

\*जो लागू न हो उसे काट दें।

|                       |  |
|-----------------------|--|
| कार्यालय उपयोग के लिए | सिर्फ कार्यालय उपयोग हेतु<br>रसीद सं. ....<br>तारीख .....<br>पदधारी के हस्ताक्षर और मुहर ..... |
|-----------------------|--|

1. यदि टेन के लिए आवेदन किया है तो आवेदन की अभिस्वीकृति सं. दीजिए।
2. यदि कंपनी है तो 1 लिखें, यदि फर्म है तो 2 लिखें, यदि व्यष्टि है तो 3 लिखें और यदि अन्य है तो 4 लिखें
3. यदि पेन (स्थायी लेखा संख्या) उपलब्ध नहीं है तो, धारा 206अअ के उपबंध लागू होंगे।
4. यदि कंपनी है तो 1 लिखें, यदि फर्म है तो 2 लिखें, यदि व्यष्टि है तो 3 लिखें और यदि अन्य है तो 4 लिखें।
5. लेखाकार (कर्मचारी से भिन्न) का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288 के स्पष्टीकरण में परिभाषित है।
6. कृपया लेखाकार के प्रमाण पत्र में उपदर्शित क्रम संख्या भरें।